फर्द अहकाम   2022/123

य — सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

शंकर लाल बनाम राजस्थान सरकार

संख्या / वर्ष : 60 / 2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
09/02/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेरोकार सरकार का जवाब पेश न होने पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10/02/2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
10/02/23	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर पूर्व में बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता को सुनने के पश्चात वादग्रस्त भूमि खसरा न. 585 स्थित ग्राम तूंगा तह. तूंगा जि. जयपुर के संबंध मे मुलवाद मे तनकी कायम होकर वाद साक्ष्य वादी में विचाराधीन है ऐसी स्थिति मे अप्रार्थी पेरोकार सरकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2022 को जारी स्थगन आदेश प्रभाव शून्य होने से निरस्त किया जाता है। (हस्ताक्षर)	